न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
जिला अमरोहा।

विशेष सत्र परीक्षण सं0–285/2020

राज्य बनाम श्रीमती निरवेश आदि।

दिनांक–10.09.2020–

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रा0पत्र 9ख पर सुना। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.09.2020 को पेश हो।

उमेश कुमार–II

Id. No:- UP6322
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
अमरोहा।

दिनांकः 16.09.2020–

निस्तारण प्रा0पत्र 9ख

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी मुकदमा की तरफ से प्रा0पत्र 9ख धारा 173(8) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि घटना के समय मुल्जिमान सोनू ने नुकीली वस्तु से प्रार्थी के पिता की वांयी आंख में प्रहार किया जिससे उनकी आंख में चोट आयी और उन्हें उचित उपचार हेतु रेफर किया गया। अब भी इनका ईलाज चल रहा है। उक्त घटना में आयी चोट के कारण प्रार्थी के पिता विजेन्द्र की आंख की रोशनी चली गयी है। विवेचक महोदय ने जिला अस्पताल अमरोहा के मेडिकल प्रपत्रों की आधार पर जांच किए बिना ही उक्त धाराओं में चार्जसीट दाखिल कर दिया है जबकि विवेचक महोदय ने प्रार्थी के कहने पर ब्रहम नेत्रालय जिला मुरादाबाद के चिकित्सीय प्रमाण पत्र व ईलाज के पर्चे नही लिए है और न ही प्रार्थी के पिता विजेन्द्र का बयान लिया है। अतः मुकदमा अपराध सं0 111/2020 के अतिरिक्त विवेचना कराए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रा0पत्र शपथ पत्र से समर्थित है तथा संलग्नक के रूप में चिकित्सीय प्रपत्र ब्रहम नेत्रालय कागज सं0 11ख/1 लगायत 11ख/6, टी0एम0यू0 अस्पताल कागज सं0 11ख/7, जिला संयुक्त चिकित्सालय की चिकित्सीय प्रपत्र की छायाप्रति 11ख/8–9 प्रस्तुत किए गए है।

वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पूर्व में सविस्तार सुना जा चुका है।

मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

Digitally signed by Umesh Kumar
Date: 2020.09.16 16:43:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस मामले में दिनांक 22.05.2020 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। धारा 173(8) दं0प्र0सं0 के अनुसार अग्रिम विवेचना का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले। निर्णय विधि **अमरूत भाई शम्भू भाई पटेल बनाम सुमन भाई कान्ती भाई पटेल 2017 (98) ए.सी.सी. 907** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित

किया गया है कि यदि एक बार पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया है तब इसके पश्चात अग्रिम विवेचना का आदेश तभी दिया जा सकता है तब अन्वेषण प्राधिकारी की तरफ से आवेदन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में मजिस्ट्रेट अग्रिम विवेचना का आदेश नही दे सकता। इस प्रकार, उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा सम्मानित निर्णय विधि व्यवस्था में पारित दिशा–निर्देशों के प्रकाश में इस मामले में स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा जा चुका है और इसके पश्चात अन्वेषण प्राधिकारी की तरफ से अग्रिम विवेचना का कोई आवेदन नही किया गया है। तब ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 9ख के माध्यम से अग्रिम विवेचना कराए जाने की याचना विधिसम्मत नही है। वादी मुकदमा द्वारा अपने आवेदन में किए गए कथनों के संदर्भ में वाद के अग्रिम स्तर पर वह सुसंगत विधिक प्रावधानों के प्रकाश में आवेदन कर सकता है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रा0पत्र 9ख निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रा0पत्र 9ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 17.10.2020 को पेश हो।

उमेश कुमार–II

Id. No:- UP6322
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
अमरोहा।